

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025 परीक्षा संचालन एवं भरती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	: 27.10.2025	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	: 10.11.2025
ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 27.10.2025	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 15.11.2025
परीक्षा दिनांक व दिन	09.01.2026 से प्रारम्भ		
ई.एस.बी. परीक्षा शुल्क			
सीधी भर्ती पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/-	
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./ अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 250/-	
पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी (Qualified Candidate) से मण्डल द्वारा पृथक से प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) ली जाएगी।			
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 200/-	
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./ अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 100/-	
.ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी.आनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।			

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
सूबेदार/उप निरीक्षक भरती परीक्षा-2025	09.01.2026 से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक	09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे)
		द्वितीय	दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक	02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, Sun glasses एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ई.एस.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतः :कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी ।

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु
भरती परीक्षा-2025 के लिए विभागीय भरती नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025 के लिए विभागीय भरती नियम एवं आरक्षण तालिका	04-34
2.	2	म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	35-49
3	3	पाठ्यक्रम	50-51
3	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	52
4	प्रारूप-2	अन्य प्रमाण पत्र	53-57

अध्याय-1

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025 के लिए विभागीय नियम

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/2-चयन/स-1/ 22-ए/25, दिनांक 25.02.2025 एवं पत्र क्रमांक 596 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक (जि.पु.ब.) एवं उप निरीक्षक (विसबल) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष एवं महिला तथा उप निरीक्षक(विसबल) के रिक्त पदों पर केवल पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. परिभाषाएँ:-

- i. "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण.
- ii. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
- iii. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
- iv. "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग .
- v. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.
- vi. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है.
- vii. "समिति" से अभिप्रेत है - राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति.
- viii. "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा.
- ix. "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार।
- x. म.प्र. से तात्पर्य है मध्यप्रदेश.
- xi. "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है- निम्नलिखित श्रेणी के मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) भूतपूर्व सैनिक आयु या शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के लिए पात्र हैं परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो:
 - क. भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत्त हुए हैं (मास्टरिंग रियायतें);
 - ख. भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है, और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर, उन्हें भर्ती की शर्तें पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है;
 - ग. अधिकारी (सैनिक या नागरिक) जो अपने अनुबंध के पूरा होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं (अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन अधिकारियों सहित);

- घ. अवकाश रिक्तियों पर 06 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी;
- ङ. असमर्थता के कारण सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक;
- च. भूतपूर्व सैनिक जो इस आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं कि वे अब सक्षम सैनिक नहीं बन पाएंगे;
- छ. गोली, घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.

3. रिक्त पदों की तालिका:-

आवेदक केवल उसी पद हेतु आवेदन करें जिस पद की वह अर्हता रखता है।

i. सूबेदार (पोस्ट कोड 01)

Subedar	UR		OBC			SC	ST	EWS	TOTAL		
	(27%)	13% काल्पनिक	14%	13% प्रावधिक	(27 %)	(16 %)	(20%)	(10%)	87%	13%	100%
Open	3	1	2	1	3	2	2	1	10	1	11
Ex Serv (10%)	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3
Police (15%)	1	0	1	0	1	1	1	0	4	0	4
Female (35%)	2	1	2	1	3	2	2	1	9	1	10
Total	7	2	6	2	8	5	6	2	26	2	28

ii. उप निरीक्षक (पोस्ट कोड 02) – (सामान्य ड्यूटी – विशेष सशस्त्र बल)

Sub Inspector (GD-SAF)	UR		OBC			SC	ST	EWS	TOTAL		
	(27%)	13% काल्पनिक	14%	13% प्रावधिक	(27 %)	(16 %)	(20%)	(10%)	87%	13%	100%
Open	20	9	10	9	19	11	14	7	62	9	71
Ex Serv (10%)	2	1	2	1	3	2	2	1	9	1	10
Police (15%)	4	2	2	2	4	2	3	1	12	2	14
Total	26	12	14	12	26	15	19	9	83	12	95

नोट :- उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

iii. उप निरीक्षक (पोस्ट कोड 03) – (सामान्य ड्यूटी – विशेष सशस्त्र बल के अलावा)*

Sub Inspector (GD-Other than SAF)	UR		OBC			SC	ST	EWS	Total		
	(27%)	13% काल्पनिक	14%	13% प्रावधिक	(27 %)	(16 %)	(20%)	(10%)	87%	13%	100%
Open	40	20	21	20	41	24	30	15	130	20	150
Ex Serv (10%)	10	5	5	5	10	6	8	4	33	5	38
Police (15%)	16	7	8	7	15	9	11	6	50	7	57
Female (35%)	36	18	18	18	36	21	26	13	114	18	132
Total	102	50	52	50	102	60	75	38	327	50	377

*सक्षम प्राधिकारी इन पदों पर जिला पुलिस बल, रेलवे पुलिस, प्रशिक्षण आदि में नियुक्ति कर सकते हैं.

4. सामान्य:-

- अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा.
- अभ्यर्थी के पास दिनांक 10.11.2025 तक निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः होने चाहिये.
 - आयु एवं उसमें छूट
 - शिक्षा
 - भूतपूर्व सैनिक यदि लागू हो तो
 - वांछित आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
 इनके साथ-साथ शेष अन्य सभी वांछित दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे.
- चयन के लिये उपस्थित होने के लिए शासकीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी.
- शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे.
- नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिये जायेंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा. इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा उपस्थित होने की तिथि से पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए.
- म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग के परिपत्र क्र.एफ-2(अ)/541/92/ब/(4)/दो/भोपाल दिनांक 04.04.1995 के द्वारा निःशक्तजनों से पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है।

- viii. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 तथा क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल दिनांक 14 दिसम्बर 2022 एवं क्रमांक सी-3-9/2019/1/3/भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार :-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
02	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी
03	अतिशेष कर्मचारियों को
04	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
05	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
06	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र
07	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -

"उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जायेंगे।"

- x. अभ्यर्थियों के किसी भी चरण में भाग लेना उन्हें उस चरण में उत्तीर्ण करने अथवा अगले चरण के लिए विचारण में लिए जाने का पात्र स्वयं में नहीं बनाता। किसी भी भर्ती के चरण में अभ्यर्थी की पात्रता सम्बन्धी विसंगति अथवा कमी पाए जाने पर उसे चयन अथवा अगले चरण के लिए अनर्ह किया जा सकेगा।
- xi. विभागीय परीक्षा शुल्क: प्रत्येक अनारक्षित अभ्यर्थियों से ₹.200/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस अभ्यर्थियों से ₹.100/- प्राप्त किया जाकर पुलिस विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

5. पद का वेतनमान:-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1.	सूबेदार	Level 9 : 36200-114800
2.	उप निरीक्षक – (सामान्य इयूटी – विशेष सशस्त्र बल)	Level 9 : 36200-114800
3.	उप निरीक्षक – (सामान्य इयूटी – विशेष सशस्त्र बल के अलावा)	Level 9 : 36200-114800

नोट :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टापपेंड देय होगा. दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है.

6. पदों पर भरती:

- i. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात् कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- ii. सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं।
- iii. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार, पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। ज़िला पुलिस बल में गृह ज़िला आवंटित नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- iv. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पद-संवर्गों के लिए देनी होगी:
 - (क) सूबेदार
 - (ख) उप निरीक्षक (सामान्य इयूटी – विशेष सशस्त्र बल)
 - (ग) उप निरीक्षक (सामान्य इयूटी – ज़िला पुलिस बल)
- v. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।
- vi. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई अधिवासी (domicile) नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे आवेदकों का आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 10.11.2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई अधिवासी (domicile) प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

7. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :-

- i. विभिन्न संवर्गों के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ निम्नानुसार हैं

पद-संवर्ग का नाम	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
उप निरीक्षक (सामान्य इयूटी – विशेष सशस्त्र बल के अलावा) - महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य
उप निरीक्षक (सामान्य इयूटी – विशेष सशस्त्र बल)	-तदैव-
सूबेदार	-तदैव-

- ii. शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हमान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र समझती हो, समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

- iii. मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 2 क तथा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-3-86-3 एक दिनांक 24 फरवरी 1987 के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर आरक्षित रिक्त में नियुक्ति के लिए मेट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक (जिस पद के अंतर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना का तत्स्थानी कोई प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किया है) जिसने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र हो सकेगा जिसके लिए विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता स्नातक है.

8. निर्धारित आयु सीमा:-

- i. दिनांक 10.11.2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- ii. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्र.सी 3-14/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के अनुसार राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट-

क्र.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1	पुरुष	मध्यप्रदेश के अनारक्षित	33 वर्ष
2	पुरुष	मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी	33 वर्ष
3	पुरुष/महिला	अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी	33 वर्ष
4	महिला*	सभी श्रेणी की अभ्यर्थी	38 वर्ष
5	पुरुष*	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.व.) का अभ्यर्थी	38 वर्ष
6	पुरुष*	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी	38 वर्ष
7	पुरुष*	अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह	38 वर्ष
8	महिला*	अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह	38+5= 43 वर्ष
9	पुरुष*	अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता	33+5= 38 वर्ष
10	महिला*	समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता	38+5= 43 वर्ष
11	पुरुष*	आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता	38+5= 43 वर्ष

* केवल मध्यप्रदेश के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए.

- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका में दर्शाए गए हैं।
- iv. मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूट:-
 - क. "विक्रम पुरस्कार- से सम्मानित अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
 - ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित दंपति के उच्च जाति के पति या पत्नी के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इस संबंध में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
 - ग. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी।
 - घ. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।
- v. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट:-
 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु आवेदक की पात्रता की उच्च सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :1 शब्द "भूतपूर्व सैनिक" एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा है जो नियम 2 के उपनियम "x" की श्रेणियों में से किसी से संबंधित है और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2: किसी भूतपूर्व सैनिक ने यदि अतीत में किसी शासकीय सेवा में शामिल होने का लाभ उठाया है, तो उसे भविष्य की भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जाएगा। वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।
- vi. मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी/ परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति को शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। उम्र में छूट नहीं ले रहे शासकीय सेवकों को पुलिस सेवा में नियुक्ति पूर्व अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

- vii. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।
- viii. छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो. छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो. अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी.
- ix. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई.
- x. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूट के आधार हैं, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी.
- xi. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या **स्वैच्छिक** कर्मचारियों जैसे कि "शिक्षाकर्मि" 'पंचायत कर्मि' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नहीं मिलेगी.
- xii. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी. उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा.

9. सन्तान के सम्बन्ध में:-

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा. परन्तु ऐसा अभ्यर्थी निरहित नहीं होगा यदि उसकी एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है .

10. आरक्षण :

- i. श्रेणियाँ : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका इस विज्ञापन में दी गयी है, आरक्षण को वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे-अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग. प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को आगे हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे- महिला, पुलिस कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियां.
- ii. केवल उन्ही पदों की गणना की जाएगी जिन पर महिलाओं को लिया जा सकता है.
- iii. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के राजपत्र (असाधारण) क्र. सी-3-8-2015-एक-3, भोपाल दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के द्वारा महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण 'हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है. सामान्य प्रशासन

विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) म.प्र. शासन का 21 अप्रैल 1999 का असाधारण राजपत्र आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय सेवा में 10 प्रतिशत पद आरक्षित है, तथा म०प्र०शासन, गृह विभाग के राजपत्र क्र.एफ-2(अ) 96-2015-बी-4-दो दिनांक 05 मार्च 2016 द्वारा 15 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारियों के लिए आरक्षित है. ये दोनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है. योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे. किसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी को विभक्त कर हारीजोन्टल श्रेणी में विभाजित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद उस वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे. चयन सूची में यदि पहले से ही 35 प्रतिशत महिलायें, 15 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों या 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा.

- iv. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुल पदों के 15 प्रतिशत पद पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उन्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं मिली हो. इस हेतु आरक्षण के पात्र पुलिस कर्मियों को इकाई प्रमुख द्वारा जारी तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- v. भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे भू.पू.सैनिक से है जो उक्त परीक्षा में आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक तक या उससे पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हों और किसी भी शासकीय सेवा में सेवारत न हों. भारत सरकार: कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के परिपत्र .-No-36034/1/2014-Estt/Res दिनांक 14.08.2014 में निहित प्रावधान अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो पूर्व में भूतपूर्व सैनिकों को प्रदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा.
- vi. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है. जबकि महिलाओं, पुलिस कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज" स्वरूप का है.
- vii. प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के दस गुना अभ्यर्थी जहाँ खत्म हो रहे हैं, वहीं कट-ऑफ Percentile, न्यूनतम अर्ह Percentile होगा जो कि डायनेमिक रहेगा और परीक्षा के पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता है। प्रथम चरण में इन कट-ऑफ अथवा इनसे अधिक Percentile प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के अगले चरण के लिए योग्य कहे जाएँगे।
- viii. आरक्षण के आधार पर चयन मध्य प्रदेश के निम्न शासनादेशों:
 - क. सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ 9-2-98-आ.प्र. एक दिनांक 21 अप्रैल 1999 (10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए);
 - ख. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण);
 - ग. म.प्र.शासन, गृह विभाग के राजपत्र क्र. एफ-2 (अ) 96-2015-बी-4-दो दिनांक 05 मार्च 2016 (15 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी के लिए);
 - घ. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई. डब्ल्यूएस, के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण);
 - ड. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-7-10/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 26 अगस्त 2019 एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 (अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत आरक्षण),

एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्न निर्णयों पर आधारित हैं:-

क. इन्द्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ:- 1992 SUPP(3) SCC-217)

ख. अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (संदर्भ:- 1995 (2) SUPP, SCR - 396- 1995(5) SCC-173

ग. रमेश राम विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील क्र. 4310-4311 OF 2010)

घ. राजेश कुमार डारिया विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (संदर्भ:- अपील (सिविल) 3132/2007)

ड. सत्य प्रकाश विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ:- अपील (सिविल) 5505-5507/2003)

च. दीपा ई वी बनाम भारत संघ [सिविल अपील न. 3609/2017]

छ. सौरव यादव बनाम उ.प्र. राज्य [विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 23223/2018].

- ix. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उप निरीक्षक (विसबल) के पद मात्र पुरुष उम्मीदवारों से ही भरे जाने हैं. अतः इन पदों को छोड़कर शेष संवर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद केरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी वर्टिकल श्रेणी के योग्य पुरुष से भरा जायेगा. इसी प्रकार आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार न मिलने पर पद केरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी वर्टिकल श्रेणी के योग्य उम्मीदवार से भरा जायेगा।
- x. महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्टवाइज आरक्षण है. उप निरीक्षक विसबल के पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिये महिलायें रिक्त पदों के अनुरूप आवेदन कर सकती हैं.
- xi. म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग के परिपत्र क्र.एफ-2(अ)/541/92/ब/(4)/दो/भोपाल दिनांक 04.04.1995 के द्वारा निःशक्तजनों से पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है।
- xii. शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे. अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं.
- xiii. **अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी:-** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं हैं, यह खुली प्रतियोगिता श्रेणी है और सभी उम्मीदवार-जिन्होंने आयु या शिक्षा में कोई छूट नहीं ली है, वे अपने उच्च अंकों के आधार पर अनारक्षित (UR) श्रेणी में स्थान पाने के पात्र हैं, भले ही किसी आरक्षित श्रेणी विशेष के अधीन उन्होंने आवेदन किया हो.
- xiv. **अनारक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-**
- अनारक्षित महिला सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला का समायोजन किए हुए होगी, जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
 - अनारक्षित पुलिस कर्मचारी सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुलिस अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
 - अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होंगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.

xv. आरक्षित वर्टिकल श्रेणी:-

क. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS के अभ्यर्थी जिनके Percentile अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट-ऑफ़ Percentile से कम नहीं हैं परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है तो उनकी गणना केवल आरक्षित श्रेणी में ही होगी.

ख. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS के अभ्यर्थी जिनके Percentile अनारक्षित वर्टिकल(UR) श्रेणी के कट-ऑफ़ Percentile से कम नहीं है परंतु जिन्हें की अपनी उच्च वरीयता का विकल्प सेवा संवर्ग विशेष यथा

- 1) सूबेदार,
- 2) उपनिरीक्षक(सामान्य ड्यूटी- विशेष सशस्त्र बल)
- 3) उपनिरीक्षक(सामान्य ड्यूटी- विशेष सशस्त्र बल के अलावा)

केवल उनकी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी में ही प्राप्त हो रहा है और अनारक्षित अभ्यर्थी की तरह विचार करने पर नहीं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के स्थान पर आरक्षित श्रेणी में की जाएगी।

XVI. आरक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-

प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी के भीतर हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ हैं जैसे-महिलाएं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिक इसके लिए केवल उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने कि प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्ह Percentile पाए हों जो कि उनकी अपनी- अपनी वर्टिकल श्रेणी यथा UR/OBC/ST/SC/EWS, के कट-ऑफ Percentile ही हो सकते हैं. प्रथम चरण में हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ Percentile निर्धारित नहीं किए जाएंगे.

- i. महिलाएं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों को उनकी संबंधित वर्टिकल श्रेणी में "ओपन प्रकोष्ठ" अभ्यर्थी के रूप में नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण में पृथक एवं शिथिल मानकों के आधार पर अंक अभिप्राप्त होंगे.
- ii. महिलाएं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में, इस प्रकार शेष रहे पदों को उस वर्टिकल श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.

11. परीक्षा की योजना:-

- i. प्रारंभिक लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम अनंतिम (provisional) होगा. प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है।
सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा को निम्न लिखित दो चरणों में संपन्न कराया जावेगा:-

क- प्रथम चरण - प्रारंभिक लिखित परीक्षा (परिशिष्ट एक)- कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी।

ख- द्वितीय चरण -

- (1) मुख्य लिखित परीक्षा (परिशिष्ट दो) - कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (2) शारीरिक दक्षता परीक्षण (परिशिष्ट तीन)
- (3) साक्षात्कार
- ii. विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कटऑफ Percentile के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुछ संख्या विज्ञापित रिक्तियों की दस गुना से अधिक हो।

- iii. मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये विज्ञापित पदों की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कटऑफ के बराबर Percentile प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की तीन गुना से अधिक हो। बुलाये गये उम्मीदवारों का निम्न चरण में परीक्षण किया जावेगा:-

क- शारीरिक दक्षता परीक्षण (800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लम्बी कूद)।

ख- समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण।

- iv. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षण से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चयन समिति द्वारा तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तिथि परिवर्तन के लिए अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

12. **बोनस अंक :-** सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन आदेश क्र सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फरवरी 2022 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2022 एवं क्रमांक सी-3-9/2019/1/3/भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार प्राप्तियों के 5% अंक, अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएंगे. यह लाभ केवल प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा के लिए लागू होगा.
13. म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अंको की समस्त गणना की जायेगी।

14. प्रमाण पत्रों की जाँच, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार:-

- द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच गठित समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सम्पन्न की जावेगी.
- निर्धारित समस्त **अर्हताएं/प्रमाण पत्र**, दस्तावेज़ जाँच दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये।
- आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ (डाक्यूमेंट) और उनकी प्रतियाँ ले कर आएँगे एवं दस्तावेज़ सत्यापन के प्रस्तुत करेंगे:-
 - जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो,
 - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में, मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रिमानक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये, प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
 - स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशनड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की कम से कम तीन वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,
 - भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,

- च. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
- छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- ज. “विक्रम पुरस्कार” प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट “विक्रम पुरस्कार” हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- झ. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
- ञ. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
- ट. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों एवं आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों हेतु मध्य प्रदेश का अधिवासी प्रमाण पत्र.
- ठ. यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रस्तुत करें.
- iv. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे. अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा. इस नियम पुस्तिका में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा.
- v. मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी. यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह मुख्य लिखित परीक्षा में सफल रहा हो. यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनों परीक्षणों में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा .

15. साक्षात्कार :-

द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज परीक्षण में अर्हताएँ पूर्ण हैं, का व्यक्तित्व साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा. व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 अंकों का होगा."

16. यात्रा किराया:-

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण/साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

17. चयन सूची:-

1. प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची:-

- प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए Percentile के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति

(ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), द्वितीय चरण की मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अनारक्षित महिलाओं एवं पुरुषों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी शामिल होंगे। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ Percentile अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ Percentile से सदैव कम होंगे।

- ii. अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक दस गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर Percentile अभिप्राप्त किए हो, नियत की दस गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ Percentile केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी – UR/OBC/ST/SC/EWS के लिए जारी किए जाएंगे। हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ Percentile नहीं होंगे।

2) मुख्य लिखित परीक्षा से शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची:-

- i. द्वितीय चरण की मुख्य लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए Percentile के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणियों में यथा, अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अनारक्षित महिलाओं एवं पुरुषों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी शामिल होंगे। त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ Percentile अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ Percentile से सदैव कम होंगे।
- ii. अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक तीन गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर Percentile अभिप्राप्त किए हो, नियत की तीन गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण में प्रत्येक वर्टिकल और उनकी सम्बंधित हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक कट-ऑफ Percentile होंगे।

18. **अंतिम परीक्षा परिणाम:-**

- i. गैर-तकनीकी पदों की सीधी भर्ती के लिए अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। सामान्य श्रेणी (UR), महिला और पुरुष उम्मीदवारों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार शामिल होंगे। त्रुटि मुक्त मेरिट सूची में हमेशा किसी भी श्रेणीवार आरक्षण

वर्ग और उसकी क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी और उसकी क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों के कट-ऑफ अंकों से कम होंगे।

परंतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त किए हों।"

- ii. शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो।
- iii. सर्वप्रथम प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये A-सूची बनायी जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे उम्मीदवार शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वह उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाता है।
- iv. अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी में ओपन प्रकोष्ठ भरने के बाद, इस वर्टिकल श्रेणी की होरीजोन्टल श्रेणियों यथा महिलाओं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। इन होरीजोन्टल श्रेणियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये होरीजोन्टल आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे। चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ अभ्यर्थियों में जितने पुलिस आरक्षक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो उन्हें घटाकर बच रहे होरीजोन्टल आरक्षित पदों के लिए चयन किया जाएगा।
- vi. त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में अनारक्षित महिलाओं, अनारक्षित पुलिस कर्मचारी एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों की होरीजॉटल श्रेणी के कट-ऑफ अंक किसी भी आरक्षित श्रेणी की महिलाओं, पुलिस आरक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से सदैव अधिक होंगे,
- vii. अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी के पद भरे जाने के बाद शेष रहे उम्मीदवारों में से और, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के शेष रहे सभी उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों की लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी। इन श्रेणियों के ओपन प्रकोष्ठ में वे अभ्यर्थी चयनित किये जाएँगे जिन्होंने कि किसी शारीरिक दक्षता परीक्षण के शिथिल मापदण्ड का लाभ नहीं लिया है।
- viii. ये सूचियाँ बनाने के बाद सम्बंधित आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /ई.डब्ल्यू.एस. में महिलाओं, पुलिस कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये होरीजॉटल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर होरीजॉटल श्रेणियों के लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद सम्बंधित आरक्षित श्रेणी के

शेष रहे ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे. चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ अभ्यर्थियों में जितने पुलिस आरक्षक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो उन्हें घटाकर शेष बच रहे होरीजोन्टल आरक्षित पदों के लिए चयन किया जाएगा.

- ix. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात् समान अंक प्राप्त करने वाले जिन उम्मीदवारों की आयु अधिक होगी वही मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा।

19. नियुक्ति के पूर्व किये जाने वाले परीक्षण:-

स्वास्थ्य मापदण्डों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा :-

- i. अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होना चाहिए:-

- i. कद ऊँचाई:

(1) पुरुष - 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक

(2) महिला - 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

- ii. सीने का फुलाव (केवल पुरुषों के लिए) - सीना बिना फुलाये कम से कम 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर कम से कम 86 सेंटीमीटर. अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक है इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। सीने का माप यदि न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेमी फुलाना अनिवार्य होगा.

- ii. दृष्टि: अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग/विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्मे के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए जिसका इशियारा (Ishihara Plate) प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो.

- iii. नॉक-नी तथा फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए.

- iv. अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल परीक्षण के संबंध में जिला, संभाग एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने का क्रम निर्धारित है. स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है, तो वह संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से अपील का आवेदन दे सकेगा, जिस पर उसका संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. जिला एवं संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड के अभिमत में भिन्नता होने पर विभाग राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण करायेगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय आवश्यक रूप से एक नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा. स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

नोट:- Colour Blindness के लिए जिला एवं संभाग मेडिकल बोर्ड से इशियारा (Ishihara Plates) द्वारा एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से Anomaloscope Test लिया जाएगा।

- v. अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है।

- vi. न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें. निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।
- vii. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी. अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा.

20. चरित्र सत्यापन:-

- i. कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रपत्र में यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा. सेवा में नियुक्ति के बाद इस संबंध में यदि यह तथ्य पता चलता है तो उसे कोई अन्य नोटिस दिये बिना उसे, सेवा से हटा दिया जाएगा. प्रतिकूल चरित्र सत्यापन के मामले में, नियुक्ति के लिए या सेवा में बने रहने का अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे.
- ii. गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-17-01/2017/दो/सी-2 दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर चरित्र सत्यापन किया जाएगा.
- iii. चरित्र सत्यापन के लिए चयन के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेहर सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस - विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 38886/2012, में निर्धारित मापदण्ड अनुसार होंगे जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी अभ्यर्थी की पुलिस सेवा के लिये कोई दावेदारी नहीं बनती है .
- iv. यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह नियुक्ति के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति के अयोग्य घोषित किये जाने पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

21. नियुक्ति:-

- (1) उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी.
 - i. मेरिट, अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार उन्हें पद-संवर्ग एवं आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएगी.
 - ii. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा.
 - iii. नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की सेवा के बाद ही भर्ती किए गए सूबेदार एवं उप निरीक्षक पदोन्नति के लिए पात्र हो सकेंगे.
 - iv. जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी.

- v. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो- इस बात के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
 - vi. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 - vii. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टापेंड देय होगा. दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्र. एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।
 - viii. जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी.
 - ix. निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है. प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
 - x. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा. राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे- राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW), विशेष पुलिस स्थापना(लोकायुक्त) अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है.
- (2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा. केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी.
- (3) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी स्थापना से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961** के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अनुसार निर्धारित की जावेंगी.

22. प्रशिक्षण:-

- i. नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा. प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी. चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व निर्धारित किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा. अभ्यर्थी यदि नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा. इस संबंध में मेडिकल प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा.
- ii. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा. अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा. उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा.

- iii. निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है.
- iv. इस चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपसी सहवर्षता (पारस्परिक ज्येष्ठता) चयन परीक्षा में प्राप्त अंको के 50 प्रतिशत अनुपात एवं बुनियादी प्रशिक्षण की मुख्य परीक्षा में अर्जित अंको के 50 प्रतिशत अनुपात से प्राप्त सकल अंको के आधार पर नियत की जाएगी. यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थी सकल अंको में समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी प्रवीण्यता उनकी आयु के क्रम से विनिश्चित की जावेगी. परंतु कोई परीक्षार्थी जो बीमारी या किसी अन्य कारण से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है या किसी विषय/विषयों या प्रश्न-पत्र/प्रश्न पत्रों आदि के लिये विहित किये गये न्यूनतम अंक अर्जित करने में असफल रहता है तथा पश्चात्पूर्ति रूप से परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता है तो उस परीक्षार्थी को ऐसी परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्रदान किये गये अंको की गणना उसकी ज्येष्ठता निर्धारित करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा.

23. सामान्य निर्देश :-

यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी.

- i. चयन सूची के जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर, यदि चयन एवं भर्ती शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि आती है तो चयन एवं भर्ती शाखा को उसे सुधारने का अधिकार होगा.
- ii. पुनर्विलोकन पर विज्ञापित पदों की संख्या, किन्तु लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले, पुलिस मुख्यालय द्वारा बदली जा सकती है, परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुये आवेदनों में संशोधन मांगा जायेगा.
- iii. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी / चयन रद्द किया जा सकता है.
- iv. चयन परीक्षा का सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा। केवल वही रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा, जिसकी कोई जाँच चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो।

उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

1. प्रथम चरण - प्रारंभिक लिखित परीक्षा:-

(क) प्रारंभिक परीक्षा, प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी. प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी. निम्नलिखित विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे:

- (एक) हिंदी भाषायी बोध;
- (दो) अंग्रेजी भाषायी बोध;
- (तीन) विश्लेषणात्मक क्षमता;
- (चार) इतिहास;
- (पाँच) भूगोल;
- (छः) विज्ञान;
- (सात) नागरिक शास्त्र;
- (आठ) बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान;
- (नौ) तर्कशक्ति;
- (दस) करंट अफेयर्स

प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है.

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए Percentile के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी जिसमें वर्टिकल आरक्षण श्रेणी अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक - अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ Percentile अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ़ Percentile से सदैव कम होंगे.

अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक दस गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर Percentile अभिप्राप्त किए हो, नियत की दस गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा.

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ़ Percentile केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी UR/OBC/ST/SC/EWS के लिए जारी किए जाएंगे. हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ़ Percentile नहीं होंगे.

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ाइल समिति के पास रखी जाएगी.

द्वितीय चरण –मुख्य परीक्षा

(क) प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद :-

- (एक) मुख्य परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी (जैसा कि अनुसूची चार क में विनिर्दिष्ट है);
- (दो) प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसकी अवधि दो घंटे की होगी.

(ख) द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

मुख्य परीक्षा

(i). **प्रश्न पत्र योजना**

प्रश्न पत्र प्रथम -

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

खण्ड : दो

प्रत्येक खण्ड (150 अंक प्रत्येक) के लिए :

- i. प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
- ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
- iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

प्रश्न पत्र द्वितीय -

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक : 300

खण्ड : दो

खण्ड 'क': (150 अंक) के लिए :

- i. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
- ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.

- iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

खण्ड 'ख': (150 अंक) के लिए :

- i. तर्कशक्ति और डाटा निर्वचन
- ii. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे।
- iii. गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे।
- iv. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।
- v. कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी।

(ii). पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र - I सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

इतिहास और भारतीय समाज (150 अंक)

- i. भारतीय इतिहास – हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति-सूफी परम्पराएँ, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण.
- ii. स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन.
- iii. भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता.
- iv. भारत एवं मध्यप्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियों के साथ.
- v. महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार.
- vi. भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव.

भाग "ख"

शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान (150 अंक)

- i. भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना.
- ii. संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तकशक्तियों और वित्तका हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां.

- iii. विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण विवाद, निवारण तंत्र और संस्थानों के बीच होता है।
- iv. संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- v. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज-सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका।
- vi. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिये गठित तंत्र, कानून, संस्थान एवं निकाय।
- vii. गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

प्रश्नपत्र - II सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग “क”

करेंट अफेयर्स (current affairs), प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा (150 अंक)

- i. करेंट अफेयर्स।
- ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- iii. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी, ऑर्टिफिशल इंटेलिजेन्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- iv. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन।
- v. भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
- vi. नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, आंतरिक्ष जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग।
- vii. परम्परागत और गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन, नवकरणीय ऊर्जा।
- viii. लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका।
- ix. विकास और उग्रवाद के बीच संबंध।
- x. आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्यराजकीय एवं गैरराजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका।
- xi. संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।
- xii. बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे।
- xiii. संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

भाग “ख”

तर्क एवं अंकों की व्याख्या (150 अंक)

- i. आधार संख्यायें और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध), प्रायिकता.
- ii. आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्तता आदि).
माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन.
- iii. अनुपात और समानुपात, इकाई विधि.
- iv. लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज.
- v. क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन
- vi. तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान

शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार

- i. द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी जिसमें अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ अंक से सदैव कम होंगे.
- ii. अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक तीन गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने ने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए हो नियत की, तीन गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में प्रत्येक वर्टिकल और उनकी सम्बंधित हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ अंक होंगे.
- iii. मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा होने परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रटेक्टेड फाइल समिति के पास रखी जाएगी.

शारीरिक दक्षता परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है. यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी-

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (क) 800 मीटर दौड़ | - 40 अंक (एक अवसर) |
| (ख) लंबी कूद | - 30 अंक (तीन अवसर) |
| (ग) गोला फेंक | - 30 अंक (तीन अवसर) |

द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज़ परीक्षण में अर्हताएँ पूर्ण की हैं, का व्यक्तित्व साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा. व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 अंकों का होगा.

शारीरिक दक्षता परीक्षण – PPT (अंकों का वितरण)

क.

मानक मापदंड : गैर तकनीकी पद

i.

पुरुष –

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक ^{**} (मीटर)
0	198.3 से अधिक	2.96 से कम	3.83 से कम
1	198.3	2.96	3.83
2	196.4	3.05	4.00
3	194.5	3.14	4.17
4	192.6	3.23	4.34
5	190.7	3.32	4.51
6	188.8	3.41	4.68
7	186.9	3.50	4.85
8	185.0	3.59	5.02
9	183.1	3.68	5.19
10	181.2	3.77	5.36
11	179.3	3.86	5.53
12	177.4	3.95	5.70
13	175.5	4.04	5.87
14	173.6	4.13	6.04
15	171.7	4.22	6.21
16	169.8	4.31	6.38
17	167.9	4.40	6.55
18	166.0	4.49	6.72
19	164.1	4.58	6.89
20	162.2	4.67	7.06
21	160.3	4.76	7.23
22	158.4	4.85	7.40
23	156.5	4.94	7.57

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक [#] (मीटर)
24	154.6	5.03	7.74
25	152.7	5.12	7.91
26	150.8	5.21	8.08
27	148.9	5.30	8.25
28	147.0	5.39	8.42
29	145.1	5.48	8.59
30	143.2	5.57	8.76
31	141.3	5.57 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	8.76 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	139.4		
33	137.5		
34	135.6		
35	133.7		
36	131.8		
37	129.9		
38	128.0		
39	126.1		
40	124.2		
अधिकतम अंक 40	124.2 से कम		

* वजन 7.26 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

ii. महिला -

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक [#] (मीटर)
0	261.8 से अधिक	2.04 से कम	2.85 से कम
1	261.8	2.04	2.85
2	259.6	2.12	3.00
3	257.4	2.20	3.15

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक ^{**} (मीटर)
4	255.2	2.28	3.30
5	253.0	2.36	3.45
6	250.8	2.44	3.60
7	248.6	2.52	3.75
8	246.4	2.60	3.90
9	244.2	2.68	4.05
10	242.0	2.76	4.20
11	239.8	2.84	4.35
12	237.6	2.92	4.50
13	235.4	3.00	4.65
14	233.2	3.08	4.80
15	231.0	3.16	4.95
16	228.8	3.24	5.10
17	226.6	3.32	5.25
18	224.4	3.40	5.40
19	222.2	3.48	5.55
20	220.0	3.56	5.70
21	217.8	3.64	5.85
22	215.6	3.72	6.00
23	213.4	3.80	6.15
24	211.2	3.88	6.30
25	209.0	3.96	6.45
26	206.8	4.04	6.60
27	204.6	4.12	6.75
28	202.4	4.20	6.90
29	200.2	4.28	7.05
30	198.0	4.36	7.20
31	195.8	4.36 मी से अधिक:	7.20 मी से अधिक:

अंक (महिलाएँ)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक ^{**} (मीटर)
32	193.6	अधिकतम अंक 30	अधिकतम अंक 30
33	191.4		
34	189.2		
35	187.0		
36	184.8		
37	182.6		
38	180.4		
39	178.2		
40	176.0		
अधिकतम अंक 40	176.0 से कम		

* वजन 4.00 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

ख. शिथिल माप दंडों के साथ भूतपूर्व सैनिक

i. पुरुष -

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक ^{**} (मीटर)
0	224.5 से अधिक	2.23 से कम	3.51 से कम
1	224.5	2.23	3.51
2	222.5	2.32	3.69
3	220.5	2.41	3.87
4	218.5	2.50	4.05
5	216.5	2.59	4.23
6	214.5	2.68	4.41
7	212.5	2.77	4.59
8	210.5	2.86	4.77
9	208.5	2.95	4.95
10	206.5	3.04	5.13
11	204.5	3.13	5.31
12	202.5	3.22	5.49
13	200.5	3.31	5.67
14	198.5	3.40	5.85
15	196.5	3.49	6.03
16	194.5	3.58	6.21
17	192.5	3.67	6.39
18	190.5	3.76	6.57
19	188.5	3.85	6.75
20	186.6	3.94	6.93
21	184.6	4.03	7.11
22	182.6	4.12	7.29
23	180.6	4.21	7.47
24	178.6	4.30	7.65

अंक (पुरुष)	800 मीटर (सेकंड)	लम्बी कूद [#] (मीटर)	गोला फेंक ^{**} (मीटर)
25	176.6	4.39	7.83
26	174.6	4.48	8.01
27	172.6	4.57	8.19
28	170.6	4.66	8.37
29	168.6	4.75	8.55
30	166.6	4.84	8.73
31	164.6	4.84 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30	8.73 मी से अधिक: अधिकतम अंक 30
32	162.6		
33	160.6		
34	158.6		
35	156.6		
36	154.6		
37	152.6		
38	150.6		
39	148.6		
40	146.6		
अधिकतम अंक 40	146.6 से कम		

* वजन 7.26 कि ग्रा

लम्बी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए तीन अवसर दिए जाएँगे

नोट:- शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी. अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षण में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा.

--0--

अध्याय-2

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) विभागीय नियम में उल्लेखि निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थियों परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा।
- (iv) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vi) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

- (vii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Sun glasses and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे।

2.6 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाइन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (बाल पाईंट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.7 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

2.7 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
 - (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।
- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- बिन्दु 2.7 अ की सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. ई.एस.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.7 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- shifts be denoted as $S_1, S_2, \dots, S_K$.
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2, \dots, N_K$
- X_{ij} be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the **percentile score** of candidate X_{ij} , where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005), 6)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score (T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

2.8 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु ई.एस.बी. वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिन्दु क्रमांक 2.8 अ अनुसार ई.एस.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया अंतिम होगा।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)@ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डेटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यू.एफ.एम. प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर ई.एस.बी. को अवगत कराया जायेगा।

ई.एस.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

2.10 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर ई.एस.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी ई.एस.बी. की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

2.11 परीक्षा परिणाम :-

- (i) प्रथम चरण के परीक्षा परिणाम में प्रथम चरण की परीक्षा के प्राप्त अंको के आधार पर केवल "द्वितीय चरण हेतु Qualified/Disqualified" अंकित होगा।
- (ii) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम ई.एस.बी. की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (iii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.12 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार ई.एस.बी. का होगा।
- (ii) ई.एस.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ई.एस.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में ई.एस.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख ई.एस.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.13 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

2.14 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (v) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (vi) संविदा कर्मचारी हेतु स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य) इत्यादि को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा ।
- (vii) आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित text लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

2.15 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.16 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरान्त आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं

के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.17 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारीयों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में ई.एस.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.18 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.19 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.20

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.21

निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। साथ ही ऑफलाईन आवेदन अथवा परीक्षा शुल्क भी मान्य नहीं किये जायेंगे।

2.22 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये ई.एस.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- (ix) ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिये हैं लेकिन भुगतान नहीं किया है, वे संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

2.23 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण ई.एस.बी.स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में ई.एस.बी. द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.25 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.26 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2.27 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर

ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये ई.एस.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

- 2.28** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत ई.एस.बी. की E-mail ID “complaint.esb@mp.gov.in” पर भेज सकते है ।

2.29 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
27.10.2025	10.11.2025	15	27.10.2025	15.11.2025	20

2.30 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	परीक्षा का नाम	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025	प्रथम द्वितीय	09.01.2026 11:15:00	02 घंटे	प्रातः 09:30 से 11:30 तक दोपहर 02:30 से 04:30 तक	150 150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.31 (i) परीक्षा शुल्क * :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक
पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी (Qualified Candidate) से मण्डल द्वारा पृथक से प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) ली जाएगी।						

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.32 परीक्षा शहर :-

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहर की प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गए शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में ईएसबी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
भोपाल	इन्दौर	जबलपुर	खण्डवा	नीमच	रतलाम
रीवा	सागर	सतना	सीधी	अनूपपुर	उज्जैन

प्रश्नपत्र - I सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग “क”

इतिहास और भारतीय समाज (150 अंक)

- vii. भारतीय इतिहास – हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति-सूफी परम्पराएँ, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण.
- viii. स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन.
- ix. भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता.
- x. भारत एवं मध्यप्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियों के साथ.
- xi. महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार.
- xii. भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव.

भाग “ख”

शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान (150 अंक)

- viii. भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना.
- ix. संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियां और वित्तका हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां.
- x. विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण विवाद, निवारण तंत्र और संस्थानों के बीच होता है.
- xi. संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे.
- xii. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज-सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका.
- xiii. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिये गठित तंत्र, कानून, संस्थान एवं निकाय.
- xiv. गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे.

भाग “क”

करेंट अफेयर्स (current affairs), प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा (150 अंक)

- xiv. करेंट अफेयर्स.
- xv. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव.
- xvi. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी, ऑर्टिफिशल इंटेलिजेन्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता.
- xvii. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन.
- xviii. भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय.
- xix. नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, आंतरिक्ष जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग.
- xx. परम्परागत और गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन, नवकरणीय ऊर्जा.
- xxi. लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका.
- xxii. विकास और उग्रवाद के बीच संबंध.
- xxiii. आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्यराजकीय एवं गैरराजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका.
- xxiv. संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना.
- xxv. बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे.
- xxvi. संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध.

भाग “ख”

तर्क एवं अंकों की व्याख्या (150 अंक)

- vii. आधार संख्यायें और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध), प्रायिकता.
- viii. आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्तता आदि). माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन.
- ix. अनुपात और समानुपात, इकाई विधि.
- x. लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज.
- xi. क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन
- xii. तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्रवियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....
.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण-पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें:-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उपजिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व (अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी. स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....निवासी/ग्राम/नगर

विकासखण्ड.....तहसील.....जिला.....संभाग

जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति) संशोधन (अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांकपर अंकित हैं।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की हैं.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं.

दिनांक.

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम सील)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें-

1. संबंधित राजस्व (अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार). अस्थायी प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)

(कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण)

अनुभाग----- जिला----- मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक----- प्रमाण पत्र क्रमांक----- प्रकरण क्रमांक-----

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पिता/पति का नाम ---
----- निवासी/ग्राम/नगर ----- वि.ख----- तहसील----- जिला-----संभाग-----
जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ----- जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति) संशोधन (अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक----- पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ----- पिता/पति का नाम ----- अनुसूचित जाति /जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी ----- परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये-----है.

दिनांक.

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पद नाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा.

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र)नियम 8(1)
(कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का.....नाम.....निवास/ग्राम/नगर.....वि.
ख.....तहसील.....जिलासंभाग..... मध्यप्रदेश के
अधिवासी (domicile) हैं, जोजाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में
मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री/श्रीमती/कुमा.....पिता/पति का नाम.....और/उनका
परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला.....संभाग.....में निवास
करता है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर
सम्पन्न वर्ग व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था/एस.सी.टी .दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के
कालम-3 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र/.दिनांक 8
मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम 3 में किया गया है

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं.

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पद नाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची.

प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं
उसका परिवार निवास करता है.

जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उपजिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व/(जिलाध्यक्ष अथवा
शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी.

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र नियम 8(2)
(कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक
क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण
क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का
नाम.....निवास/ग्राम/नगर.....वि.ख

.....तहसील.....जिला.....संभाग
.....मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) हैं, जोजाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का
नाम.....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के
जिला.....संभाग में निवास करता है. यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर) सम्पन्न वर्ग (व्यक्तियों /वर्गों
की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक
360/2/22/93/स्था)एस.सी.टी.दिनांक 8.9.1993 व्दारा जारी सूची के कालम-3 में मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र /.दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न
परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम 3 में किया गया है

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है.

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पद नाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची. प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित
अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहाँ कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है.
संबंधित राजस्व अधिकारी /तहसीलदार /अतिरिक्त तहसीलदार /नायब तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा.

नोट :वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो
वह शासन के व्दारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा.

सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 18 जुलाई 2019
का संलग्नक)
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या.....दिनांक.....

वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पति/पुत्री.....ग्राम/कस्बा.....

.....पोस्ट.....ऑफिस.....

थाना.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....के स्थायी

निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि
वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये
मात्र) से कम है. इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है.

1. जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बजरं
पथरीली, बीहड भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी.
2. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट नगर निगम क्षेत्रमें स्थित
हो.
3. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट हो.
4. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लेट हो.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जाति.....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य
पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है.

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार

